

बिहार सरकार
जिला अभियंता का कार्यालय
जिला परिषद् कटिहार।
Email ID- ceozpkatihar@gmail.com

केवल ई0 निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर

ई-निविदा SBD आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2026-27

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग/निगम/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ख्याति के किसी भी एंजेसी में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक से प्रतिशत दर निविदा दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य के किसी कार्य विभाग/निगम में पूर्व से निबंधित नहीं हैं, तब एकरारनामा के पूर्व निम्नलिखित कार्य का स्वीकार पत्र (लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस) प्राप्त होने के बाद बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग/निगम (जिसमें निबंधन की प्रक्रिया लागू हो) में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :- जिला अभियंता, जिला परिषद्, कटिहार।
2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- दिनांक-29.05.2026
3. विज्ञापन (परिमाण विपत्र) बिक्री का स्थान :- वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
4. परिणाम विपत्र बिक्री (डाउनलोड की) तिथि एवं समय :- दिनांक-22.06.2026 से दिनांक-02.07.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
5. निविदा प्राप्ति (अपलोड करने) अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-03.07.2026 अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-06.07.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
7. निविदा (वित्तीय बीड) खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी निविदा निष्पादन एवं वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर संसूचन के बाद।
8. प्री बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान :- दिनांक-25.06.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद् कटिहार।
9. निविदा प्राप्ति का स्थान :- वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
10. निविदा वैधता की अवधि :- 120 दिन
11. कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	ग्रुप सं0	कार्य का नाम	परिणाम विपत्र/ प्राकृतित राशि (करोड़ में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिणाम विपत्र का मूल्य (रुपये में)	बीड प्रोसेसिंग + सर्विस टैक्स (अप्रत्यर्पणीय रू0 में।)	कार्य समाप्ति की अवधि
1		2		4	5	6	7
01	01	मंगल बाजार स्थित डांकबंगला कटिहार के परिसर में बहुमंजिला भवन निर्माण कार्य।	7.9953	15.991	10,000.00	As per eProc2.O	18 माह

कोई भी संवेदक जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर के हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स प्राप्त होने के बाद एकरारनामा के पूर्व अनिवार्य होगा। पिछले पाँच वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राक्कलित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत तक हो समर्पित कराना होगा, जो कार्यपालक अभियंता स्तर या उसके समकक्षीय पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

13. विद्युत कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा विद्युत संबंधित निबंधन होना आवश्यक होगा।
14. परिणाम विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति पश्चात् घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि 2% की दर से (100 के गुणक में) अनुसूचित मद में एवं 2% की दर से (100 के गुणक में) गैर अनुसूचित मद में निविदित राशि के अनुरूप देय होगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। टॉल फ्री नम्बर 18005726571 एवं Email Id: eproc2support@bihar.gov.in पर कार्य दिवस अवधि (10AM से 05PM) में विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को eproc-2 के साथ निबंधन कराना होगा, वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई-मेल आई०डी० eproc2support@bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eproc2.0 Help desk Address : R.J. Complex, 2nd Floor, Opp.-Vidyapeeth Institute, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-8000014, Bihar (Working Hours 8:00 am to 7:00 pm except Sunday & few selected state Holodays) से प्राप्त किया जा सकता है।
18. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदक के DSC (Digital Signature Certificate) प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
19. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender Free View में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
20. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खोलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

कार्य के नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित परिणाम विपत्र का मूल्य O-GRAS अथवा internet payment gateway (Credit/Debit cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद की तिथि से जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार के पदनाम से भुगतये होगा। प्राप्ति रसीद जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार के कार्यालय में दिनांक— 04.07.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा, तथा कार्य के सामने स्तम्भ 7 में अंकित Bid Processing Fee+ Service Tax का भुगतान संवेदक को Internet payment gateway (Credit/Debit cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid Processing Fee Account में Credit करना होगा।

22. अग्रधन की राशि जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार के नाम से भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्धारित प्रपत्र में निर्गत बैंक गारंटी ही मान्य होगा। अग्रधन की राशि मूल रूप में जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार के कार्यालय में दिनांक—04.07.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है।
23. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
24. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
25. निविदा के साथ अद्यतन निबंधन, पै नम्बर, जी0एस0टी0, चरित्र प्रमाण—पत्र एवं शपथ पत्र यथा (अपराधिक मामला में लिप्त ना होने संबंधी डिबार या कालीसूची में दर्ज ना होने संबंधी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोई रिश्तेदार अभियंता एवं कर्मचारी कार्यरत ना होने से संबंधी) की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं लेबर लाईसेंस कार्यावंटन होने के उपरान्त एकरारनामा के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
26. यंत्र संयंत्र की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. अभियंत्रण ईकाई से कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
28. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित है जो किसी सरकारी अथवा अर्धसरकारी विभाग के द्वारा डीवार अथवा कालीकृत किये गये हो जिस पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित चल रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किये है, या फिर शुरू नहीं किये है, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसका शपथ पत्र देना होगा।
29. दो बीड प्रणाली में (यथा तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड) निविदा आमंत्रित की जाती है। सिर्फ टेकनीकल बीड में सफल संवेदक का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। वित्तीय बीड का निष्पादन वित्तीय जिला परिषद के स्थायी समिति वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति के द्वारा किया जायेगा।
30. प्रतिशत दर निविदा

- (i) वित्तीय बिड में कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।
- (ii) बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग का पत्रांक प्र0 06/द0बि0 नियम-03-08/06(अंश)-447 (S) सह-पठित ज्ञापांक-448(s) एवं 449(s) पटना, दि0-16.01.2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना मान्य होगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदकों से एकरारनामा के पूर्व जमानत की राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त, अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) भी देय होगा।
- (iii) अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जायेगी :-
- (a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाएगी।
- (b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाएगी।
- (c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाएगी।
- (d) परिमाण विपत्र की दर 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाएगी।
31. पांच वर्ष की अवधि तक कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होने पर संवेदक को स्वयं अपने खर्च पर ठीक करना होगा अर्थात् इस कार्य हेतु Defect Liability अवधि पांच वर्ष होगी।
32. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित पठनीय छायाप्रति स्व0-हस्ताक्षरित निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards/Net Banking) के माध्यम से (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) के रूप में होगी। पावती रसीद जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, कटिहार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, कटिहार के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
33. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री के गुणवत्ता की सम्पुष्टि इन्जीनियर इन चार्ज के कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।

आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।

35. संवेदक को जी0एस0टी नं0 एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य है।
36. वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) से संबंधित सारी शर्तें इस निविदा में लागू होगी।
37. इस विज्ञप्ति की सभी बिन्दु/शर्तें एकरारनामा का अंश समझा जायेगा।
38. **Physical mode/ Manual Payment System** के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन +45 दिन =165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से/वित्त नियतमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में होना चाहिए जो सम्बन्धित जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, कटिहार के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति कराना होगा। अग्रधन की राशि को दिनांक— 04.07.2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक सम्बन्धित जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, कटिहार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, कटिहार के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि को अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। परिणाम विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र की राशि के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में देना होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारन्टी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड होने की तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं रहने पर संवेदक को अमान्य कर दिया जायेगा।
39. सशर्त बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं किया जाएगा। SBD के विहित प्रपत्र के अनुसार ही बैंक गारन्टी स्वीकार किया जाएगा।
40. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात या अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक हैं, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
41. संवेदक मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, M.S. Office (compatibility Mode) JPEG, ZIP Format में ही Upload किया जायें अन्य Format में Upload document के Download/ Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
42. संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे। संलग्न कागजात अपठनीय या अस्पष्ट रहने की स्थिति में उस कागजात पर विचार नहीं किया जायेगा।
43. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अंतिम समय के पूर्व ही अपलोड कर लें।

निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के सम्बन्ध में घोषण पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा आमंत्रित निर्गत की तिथि के बाद का हो) मूल में दिनांक-04.07.2026 को समय 05:00 बजे अपराह्न तक जिला परिषद कार्यालय में निम्नवत् रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

" I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the require attachments are true and correct, and if found fake/forget, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."


Certified that statement showing values of all existing commitment and ongoing works as well as stipulated period of completion remained for each work attached with the tender is true and no fact has been hidden.

45. एस0बी0डी0 की कंडिका 3.3 एवं 4.8 में वर्णित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो, देना अनिवार्य होगा। अन्यथा संवेदक को अयोग्य कर दिया जायेगा।
46. निविदा का एकरारनामा SBD के अनुसार किया जायेगा।
47. निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्य स्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारण कार्य तुरन्त शुरू होने में कोई कठिनाई (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो संबंधित जिला अभियन्ता को सूचित करेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं को प्री वीड में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है कि वे प्री वीड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे एवं स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों से भी संपर्क कर लेंगे।
48. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। SBD के कंडिका तथा निविदा में वांछित कागजात एवं शपथ व नियमानुसार नहीं रहने के फलस्वरूप संवेदक के निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। निविदा में संलग्न सभी अभिलेख/कागजात में कोई भी अभिलेख एवं कागजात जाली/फर्जी पाये जाने पर उनकी निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
49. अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा। Turn Over के अनुसार T.D.S की कटौती अथवा G.S.T तथा अन्य कटौती नहीं रहने पर संवेदक तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जायेगा।
50. बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1%(एक प्रतिशत) राशि लेकर सेस के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी।
51. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
52. समय-समय पर विभाग द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र अलग-अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा संवेदकों के निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। एक से अधिक डायरेक्टर/एम०डी०/जी०एम०/अन्य सदस्यों के होने पर सभी का चरित्र प्रमाण संलग्न करना होगा अन्यथा इनकी निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा। चरित्र प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला के एस०पी०/डी०एम० कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।

- कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
54. संवेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सदव्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा संवेदक को अयोग्य कर दिया जायेगा।
55. विशेष जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, कटिहार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, कटिहार के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
56. संवेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दुरभाष संख्या या मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा।
57. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
58. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
59. सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जायेगा।
60. निविदा शर्त के अनुरूप कागजात/अभिलेख/शपथ पत्र नहीं रहने पर संवेदक के निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
61. उपरोक्त निर्धारित तिथि आवश्यकता अनुसार घट एवं बढ़ सकती है।
62. Existing Comitment on going Work से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियन्ता के स्तर से अथवा समकक्ष से निर्गत होना अनिवार्य होगा या Existing Commitment on Going Work से संबंधित कागजात भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा निर्गत पत्र के अनुरूप होना चाहिए।
63. Key Tools and Equipment के संबंध में यह शपथ पत्र देना होगा कि "कार्य आवंटित होने पर कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार के Tools and Equipment स्वयं अथवा भाड़े पर लेकर Completion Period सीमा अन्दर विषिष्ट, प्राक्कलन तथा रूपांकण के अनुरूप कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।"
64. SBD के अनुसार, विगत पाँच वर्षों का चार्टर्ड एकाउंटेंट (Chartered Accountant) द्वारा ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर UDIN सहित (w.e.f 1 जुलाई 2019) एवं अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड करें।
65. सफल संवेदक निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले Design and Drawing को Vetted (नियमानुसार) कराने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ करेंगे।
66. पथ निर्माण विभाग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7435(s) दिनांक-14.08.2019 के द्वारा SBD Clause 25 settlement of dispute and arbitration को निम्न रूपेण पुनर्स्थापित किया गया है, "The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the

provision made in Bihar Public works Contract Disputes Arbitration Tribunal Act
2008” मान्य माना जायेगा।

नोट :- विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।


29.05.20

जिला अभियंता,
जिला परिषद, कटिहार